न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं0:— 15 / 23

1. अतरसिंह पुत्र श्री बुद्दी
2. राजेन्द्र पुत्र श्री बुद्दी
3. बाबू पुत्र श्री बुद्दी
4. रामपति पत्नी श्री बुद्दी
5. राधा पत्नी राजेन्द्रसिंह
6. सुकेश पत्नि अतरसिंह
7. लक्ष्मी पत्नि बाबूलाल

सभी जाति गूजर निवासी ग्राम कारवारी तहसील बयाना जिला भरतपुर

—— प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार, तहसील बयाना जिला भरतपुर(राज0)

—— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 135, व 136, राज0 लैण्ड रैवन्यू एक्ट

दिनांकः— 30/1/26

निर्णय

उपस्थितिः—श्री चौबसिंह सूपा एड0 प्रार्थीगण

प्रार्थीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 111, 135, 136 राजस्थान लैण्ड रैवन्यू के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पुरानी आराजी खसरा नम्बर 287 मिन रकवा 82 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम कारवारी तहसील बयाना में स्थित है पुरानी आराजी खसरा नम्बर 287 रकवा 82 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम कारवारी तहसील बयाना के नवींन खसरा नम्बरान 689 रकवा 0.39, 690 रकवा 0.50, 701 रकवा 0.25, 702 रकवा 0.16, 703 रकवा 0.11, 704 रकवा 0.21, 693 रकवा 0.15, 694 रकवा 0.15, 696 रकवा 1.00, 320 रकवा 0.50, 321 रकवा 0.40, 322 रकवा 0.42, 688 रकवा 0.18, 705 रकवा 0.55, 706 रकवा 0.30, 707 रकवा 0.20, 708 रकवा 0.53, 709 रकवा 0.45, 710 रकवा 0.28, 711 रकवा 0.08, 712 रकवा 0.11, 713 रकवा 0.24, 714 रकवा 0.24, 715 रकवा 0.08, 695 रकवा 0.17, 697 रकवा 0.35, 698 रकवा 0.53, 700 रकवा 0.24, 332 रकवा 0.01, 333 रकवा 0.23, 334 रकवा 2.19, 699 रकवा 2.14 बनाये गये है। खण्ड संख्या 2 में वर्णित नवीन आराजी खसरा नम्बरान में से खसरा नम्बरान 705 रकवा 0.55 व 706 रकवा 0.30 किता 2 कुल रकवा 0.85 है0 के प्रार्थी अतरसिंह 1/3 हिस्से का, प्रार्थी बाबू 1/3 हिस्से का, प्रार्थी राजेन्द्र 1/3 हिस्से का व खसरा नम्बर 697 रकवा 0.35 व 698 रकवा 0.53 है0 किता 2 रकवा 0.88 है0 के प्रार्थनी राधा 1/3 हिस्से की, प्रार्थनी लक्ष्मी 1/3 हिस्से की, प्रार्थनी सुकेश 1/3 हिस्से की व खसरा नम्बर 700 रकवा 0.24 है0 की प्रार्थनी रामपति सम्पूर्ण हिस्सा की रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है खण्ड संख्या 3 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी की जमाबंदी वर्तमान सैटिलमैन्ट द्वारा बनाई गई है उसमें रकवा पूर्ण है लेकिन वर्तमान सैटिलमैन्ट द्वारा जो नक्शा बनाया गया है उस पर पैमाना लगाने पर नवीन खसरा नम्बर 697 रकवा 0.53 के स्थान पर 0.24, खसरा नम्बर 698 का रकवा 0.53 के स्थान पर 0.40 है0, खसरा नम्बर 700 रकवा 0.24 के स्थान पर 0.20 है0 खसरा नम्बरान 705 रकवा 0.55 एवं 706 रकवा 0.30 कुल रकवा 0.85 के स्थान पर 0.68 है0 रकवा बैठता है जो कि पुराने नक्शा से नये नक्शा में पैमाना लगाने पर कम बैठता है कि जिसे शुद्ध किया जाना न्यायहित में आवश्यक है इस प्रकार पूर्व बन्दोवस्ती नक्शा शीट की जो वर्तमान सैटिलमैन्ट द्वारा नक्शा सीट बनाई गई है वह मौके व कब्जे व पूर्व बन्दोवस्ती नक्शा सीट के विल्कुल विपरीत बनाई गई है कि जिससे प्रार्थीगण को बडी भारी क्षति व परेशानी हो रही है प्रार्थीगण दिनांक 03.

उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

03.2023 को पटवारी हल्का के पास अपनी आराजीयात की पैमाइश कराने हेतु गये तो
पटवारी हल्का ने वर्तमान बन्दोबस्ती नक्शा शीट पर पैमाना लगाकर बताया कि आपका
रकबा कम बैठता है पहले आप नक्शा में दुरुस्ती कराओ तब आपकी पैमाइश होगी
प्रार्थीगण को उक्त नक्शा शीट में हुई गलती की प्रथम बार जानकारी हुई है।

अन्त में प्रार्थना पत्र फरमाया जाकर नवीन आराजी खसरा नम्बरान 700 रकबा 0.
24, 697 रकबा 0.35, 698 रकबा 0.53, 705 रकबा 0.65, 706 रकबा 0.30 ग्राम कारवारी
तहसील बयाना की जो वर्तमान सैटिलमैन्ट द्वारा नक्शा शीट बनाई है उसे पूर्व बन्दोबस्ती
नक्शा शीट के अनुसार शुद्ध किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार बयाना को उक्त
प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया।

तहसीलदार बयाना ने उक्त प्रकरण में रिपोर्ट पत्रांक/LR/25/3841 दिनांक 14.
10.25 को पेश की। तहसीलदार बयाना ने अपनी उक्त रिपोर्ट में अंकित किया कि
ग्राम कारबारी खसरा नम्बर 697– राजस्व नक्शा शीट में खसरा नम्बर 697 का क्षेत्रफल
कम है जिसकी पूर्ति खसरा नम्बर 318 से की जा सकती है। जिसका क्षेत्रफल 0.25 हैक्ट
मुताबिक जमाबन्दी है। 318 से बढ़ा हुआ रकबा 0.03 का 697/2 खसरा नम्बर (नवीन)
बनाया जाना उचित होगा, तथा 697 के स्थान पर 697/1 रकबा 0.32 हैक्ट. यथावत
रहेगा। इस प्रकार 697 की पूर्ति 697/1 व 697/2 के रूप में हो जायेगी।

खसरा नम्बर– 698 खसरा नम्बर 698 का क्षेत्रफल मुताबिक जमाबन्दी 0.53 हैक्ट दर्ज है
जो कि रकबा बरारी पर 0.51 हैक्ट. बैठता है। जो कि 0.02 हैक्ट. कम बैठता है। जिसकी
पूर्ति खसरा नम्बर 317 से की जा सकती है। खसरा नम्बर 317 का रकबा जमाबंदी
अनुसार 0.58 हैक्ट. है। जिसमें से 698/2 रकबा 0.02 हैक्ट बैठता है। (जो कि नवीन
खसरा नम्बर बनाया जाना है।) तथा खसरा नम्बर 698 के स्थान पर 698/1 रकबा 0.51
हैक्ट यथावत रहेगा। इस प्रकार की पूर्ति 698/1 व 698/2 के रूप में हो जायेगी।

खसरा नम्बर 700– नक्शा शीट में खसरा नम्बर 700 का क्षेत्रफल मुताविक जमावन्दी 0.24
हैक्ट दर्ज रिकार्ड है। जो कि रकबा बरारी करने पर 0.20 हैक्ट बैठता है। जो कि 0.04
हैक्ट कम बैठता है। जिसकी पूर्ति खसरा नम्बर 318 से की जा सकती है। जो कि 0.04
हैक्ट का नवीन खसरा नम्बर 700/2 बनाया जाना उचित है। खसरा नम्बर 700 के स्थान
पर खसरा नम्बर 700/1 क्षेत्रफल 0.20 हैक्ट. यथावत रहेगा। इस प्रकार खसरा नम्बर
700 की पूर्ति 700/1 व 700/2 के रूप में हो जावेगी।

खसरा नम्बर 705– नक्शा शीट में खसरा नम्बर 705 का क्षेत्रफल मुताबिक जमाबंदी 0.55
हैक्ट. दर्ज रिकार्ड है। जो कि रकवा बरारी करने पर 0.43 हैक्ट बैठता है। जो कि
जमाबन्दी मे दर्ज रकवा से 0.12 हैक्ट. कम बैठता है। जिसकी पूर्ति खसरा नम्बर 318 से
की जा सकती है। जिसके दक्षिण दिशा में नवीन खसरा नम्बर 697/2 तथा 700/2 के
मध्य में खसरा नम्बर नवीन 705/2 बनाया जाना उचित होगा। जिसका क्षेत्रफल 0.12
हैक्ट होगा तथा खसरा नम्बर 705 के स्थान पर 705/1 बनाया जावेगा। जिसका रकवा
यथावत 0.43 हैक्ट रहेगा।

खसरा नम्बर 706– नक्शा शीट में खसरा नम्बर 706 का क्षेत्रफल मुताबिक जमाबंदी 0.30
हैक्ट. दर्ज रिकार्ड है जो कि रकबा बरारी करने पर 0.22 हैक्ट क्षेत्रफल बैठता है जो कि
जमाबंदी में दर्ज रकबा से 0.08 हैक्ट. कम है। जिसकी पूर्ति खसरा नम्बर 317 के उत्तर
की तरफ पश्चिम में 0.08 हैक्ट. रकवा 0.08 का 706/2 खसरा नम्बर बनाया जाना उचित
है, तथा खसरा नम्बर 706 के बजाय 706/1 का रकबा यथावत 0.22 हैक्ट. रहेगा। इस
प्रकार खसरा नम्बर 706 की पूर्ति 706/1 व 706/2 के रूप में की जावेगी।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण को एकपक्षीय सुना। एड0 प्रार्थीगण ने प्रार्थना
पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन
किया।

हमने पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2073–76 ग्राम
कारवारी, मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध विभाग ग्राम कारबारी, व अन्य नक्शाशीट एवं तहसीलदार
वयाना की रिपोर्ट पत्रांक/LR/25/3841 दिनांक 14.10.25 का गहनता से अवलोकन

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

किया। बाद अवलोकन निष्कर्ष आता है कि रकवे की पूर्ति समीप के खसरे से ही की जानी चाहिए न कि किसी दूर के खसरे के बढे हुये रकवे से या किसी अन्य खसरे के रकवे से। अन्य खातेदारों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है जिनके खसरे से पूर्ति चाही गई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 135 व 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक....30/1/26.......को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)